

डिग्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-28/2020

रिछपाल पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी चक 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

1. कालूराम पुत्र सहीराम } जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील
2. कलावती पत्नी कालूराम } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. शर्मिला पुत्री कालूराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मदनसिंह बुरडक प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 के नाम से दर्ज चकनं० 12 डीबीएल के खाता सं० 21 में अंकित कुल 1.379 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 12 डीबीएल के खाता सं० 21 में से प्रतिवादीसं० 1 कालूराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X.....निल...X...मुब्लिक...X.....निल...X.....बाबत...X.....निल...X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X.....अदा करें। बसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.04.01.2021 को जारी किया गया।



Maangilal
(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
टिब्बी